संख्या-555/2018/937/22-2-2018-17(72)/2012

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 25 जुलाई, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक सिंह ऊर्फ गप्पू भदौरिया पुत्र श्री बैताल सिंह, निवासी जनपद-कानपुरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21771/प्रोबे0-5-दया0 (बैठक-15-05-2018) दिनांक 14-06-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी अशोक सिंह ऊर्फ गप्पू भदौरिया पुत्र श्री बैताल सिंह, निवासी 111ए/392, अशोक नगर, थाना-नजीराबाद, जनपद-कानपुरनगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 30-10-2001 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दो नाली बन्दूक, रिवाल्वर, रायफल व तमंचा से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-527, **528**/2002 में भा0द0वि0 की धारा-**302**/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, कानपुरनगर के आदेश दिनांक 06.01.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0-278/2004 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.11.2004 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12-05-2018 तक 15 वर्ष 04 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 10 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, दोनों पक्षों में तनाव व्याप्त होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का औचित्य पूर्ण होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। मेडिकल बोर्ड द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति ने बन्दी का कारित अपराध की प्रकृति तथा जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में **याची/बन्दी द्वारा** योजित **मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्रिमिनल मिस रिट याचिका** संख्या-470/2018 अशोक कुमार सिंह ऊर्फ गप्पू भदौरिया बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.01.2018 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी अशोक सिंह ऊर्फ गप्पू भदौरिया (बन्दी संख्या-17911) पुत्र श्री बैताल सिंह, निवासी जनपद-कानपुरनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई श्री राज्यपाल के निर्णयोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-555/2018/937(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in